

संख्यांक 1

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

बईजलास - जय कौशिक (आर.ए.एस.)



प्रकरण संख्या : 55 / 2012
दायरी दिनांक : 02.03.2012

अनवान

1. कल्याण पिता भूरा जाति जाट निवासी बिठलपुरा तहसील माण्डलगढ़।

वादी....

बनाम

1. भैरू पिता कल्याण जाति जाट निवासी बिठलपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. बालू पिता कल्याण जाति जाट निवासी बिठलपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. फूमा पत्नि कल्याण जाति जाट निवासी बिठलपुरा तहसील माण्डलगढ़।
4. कमला पुत्री कल्याण पत्नि अशोक जाति जाट निवासी सराणा तहसील माण्डलगढ़।
5. राजू पुत्री कल्याण पत्नि जाति जाट निवासी बिठलपुरा तहसील माण्डलगढ़।
6. सेउ पुत्री कल्याण पत्नि उदा जाति जाट निवासी रानीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

प्रतिवादीगण..

उपस्थित :-

1. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता वादी)।
2. श्री संदीप शर्मा (अधिवक्ता प्रतिवादीगण)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188-183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-: निर्णय :-

निर्णय दिनांक: 11.01.2023

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88-188-183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाद नियमित सुनवाई पर स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित की जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा बिठलपुरा पटवार हल्का मोटरो का खेड़ा में वादी के खाते में दर्ज भूमि के प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 43 से सटी हुयी 01 बीघा 09 बिस्वा, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण, वादी के कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें न वादी के काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें। हर्जा खर्चा मुकदमात फरिक्केन अपना अपना वहन करें।

जय कौशिक (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	आ.पा.	प्रतिवादी	रुपया	आ.पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			2. अर्जी के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			3. प्लीडर की फीस		
4.			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
प्लीडर की फीस					
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय					
6. कमिश्नर की फीस			5. आदेशिका को तामील		
7. आदेशिका की तामील			6. कमिश्नर की फीस		

जय कौशिक (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़